

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- .....17/2023

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2023/20.....

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
एस्पायर हॉम फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मोती लाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी मुम्बई-400025, एवं शाखा कार्यालय 401-402, चतुर्थ तल, के.जे. सिटी टॉवर, प्लॉट नम्बर ई-2, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी धीरेन्द्र रत्नावत।		1. रघुवीर कानसिंह, पता-136, राजपूतों का बास ग्राम-सनेडिया, तहसील रियांबड़ी, नागौर राजस्थान-341503 अन्य पता- प्रिंस पैलेस थांवला, नियर पुलिस स्टेशन, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर राजस्थान-341026, अन्य पता-पट्टा नम्बर-25 और 26, ग्राम सनेडिया, ग्राम पंचायत निम्बोला बिस्वा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर राजस्थान-342601 2. सुरज रघुवीर कंवर, पता-136, राजपूतों का बास, ग्राम सनेडिया, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर राजस्थान-341503

आदेश

दिनांक: 01-02-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 10,33,851/- (अक्षरे दस लाख तैतीस हजार आठ सौ इक्यावन रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 21.11.2017 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति -1. रघुवीर सिंह पुत्र कान सिंह की अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर-25, ग्राम-सनेडिया, ग्राम पंचायत निम्बोलाबिस्वा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर राजस्थान-342601 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 161.88 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी चतु-सीमाएं निम्न प्रकार है-पूर्व में-उदय सिंह पुत्र सुलतान सिंह, पश्चिम में- नरेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह, उत्तर में-मूल सिंह पुत्र सुलतान सिंह, का प्लॉट, दक्षिण में-सुरज कंवर/रघुवीर सिंह का प्लॉट व रास्ता निकास है। सम्पत्ति-2 सुरज कंवर पत्नी रघुवीर सिंह की अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर 26, ग्राम सनेडिया, ग्राम पंचायत-निम्बोलाबिस्वा, रियांबड़ी, जिला नागौर, राजस्थान-342601 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 130 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतु सीमाएं निम्न प्रकार है-पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-गुलाब सिंह पुत्र खींव सिंह का मकान व नरेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह का मकान, उत्तर में-रघुवीर सिंह पुत्र कानसिंह का मकान, दक्षिण में-आम रास्ता है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 04.05.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

के ऋण खाते में रूपये 11,45,573/- (अक्षरे ग्यारह लाख पैंतालिस हजार पांच सौ तिहेत्तर रूपये मात्र) दिनांक 25.05.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात् का ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 02.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, एवं उक्त नोटिस का दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया गया इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 11,45,573/- (अक्षरे ग्यारह लाख पैंतालिस हजार पांच सौ तिहेत्तर रूपये मात्र) दिनांक 25.05.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात् का ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- 1. रघुवीर सिंह पुत्र कान सिंह की अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर-25, ग्राम-सनेडिया, ग्राम पंचायत निम्बोलाबिस्वा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर राजस्थान-342601 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 161.88 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी चतु-सीमाएं निम्न प्रकार है-पूर्व में-उदय सिंह पुत्र सुलतान सिंह, पश्चिम में- नरेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह, उत्तर में-मूल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, का प्लॉट, दक्षिण में-सुरज कंवर/रघुवीर सिंह का प्लॉट व रास्ता निकास है। सम्पत्ति-2 सुरज कंवर पत्नी रघुवीर सिंह की अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर 26, ग्राम सनेडिया, ग्राम पंचायत-निम्बोलाबिस्वा, रियांबडी, जिला नागौर, राजस्थान-342601 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 130 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतु सीमाएं निम्न प्रकार है-पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-गुलाब सिंह पुत्र खीव सिंह का मकान व नरेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह का मकान, उत्तर में-रघुवीर सिंह पुत्र कानसिंह का मकान, दक्षिण में-आम रास्ता है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 10,33,851/- (अक्षरे दस लाख तैतीस हजार आठ सौ इक्यावन रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 21.1.2017 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी

द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - 1. रघुवीर सिंह पुत्र कान सिंह की अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर-25, ग्राम-सनेडिया, ग्राम पंचायत निम्बोलाबिस्वा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर राजस्थान-342601 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 161.88 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी चतु-सीमाएं निम्न प्रकार है-पूर्व में-उदय सिंह पुत्र सुलतान सिंह, पश्चिम में- नरेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह, उत्तर में-मूल सिंह पुत्र सुलतान सिंह, का प्लॉट, दक्षिण में-सुरज कंवर/रघुवीर सिंह का प्लॉट व रास्ता निकास है। सम्पत्ति-2 सुरज कंवर पत्नी रघुवीर सिंह की अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर-26, ग्राम सनेडिया, ग्राम पंचायत-निम्बोलाबिस्वा, रियांबड़ी, जिला नागौर, राजस्थान-342601 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 130 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतु सीमाएं निम्न प्रकार है-पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-गुलाब सिंह पुत्र खींव सिंह का मकान व नरेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह का मकान, उत्तर में-रघुवीर सिंह पुत्र कानसिंह का मकान, दक्षिण में-आम रास्ता है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, जो प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जिला नागौर  
नागौर